प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

आदर्श [illegible] पब्लिक स्कूल,
[illegible]पुर-खोराबार ।
गोरखपुर ।

पत्रांक /अ.वे-2/ 711-16 /2003-2004 दिनांक 15-8-03

विषय- प्राथमिक विद्यालय की स्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की स्थायी मान्यता शासनादेश संख्या 230/15-6-96-18 एस (7) दिनांक 18-1-96 एवं शासनादेश संख्या 1873 (1)/15-6-98-18 एस (7)/89 दिनांक 10-9-98 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ आदेश निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती है।

1-[illegible] पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाए।

2-अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति अनुमोदन चालू सत्र में करा लिया जाए।

3-[illegible] कक्षाएं संचालित न की जाएं।

4-[illegible] पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा, उपवर्ग बन्द व समाप्त अथवा स्थानान्तरित न किया जाए।

5-[illegible] नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क का लेखा-जोखा रखा जाए।

6-[illegible] निरीक्षक की अनुमति के बिना किसी अर्ह, प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त न की जाए।

7-[illegible] नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार [illegible] को सुरक्षित है।

8-[illegible] कुल पांच उपवर्ग अनुमन्य होंगे।

भवदीय

(रमेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर।

[illegible] / 2003-2004 दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-[illegible] समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
2-[illegible] पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
3-[illegible] विकलांग कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
4-[illegible] अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
5-[illegible] बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6-[illegible] शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, गोरखपुर।

(रमेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर।

15

प्रेषक ,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सप्तम मण्डल गोरखपुर

सेवा में,

प्रबन्धक,
आक्सफोर्ड पूर्व माध्यमिक विद्यालय , कजाकपुर
पोस्ट खोराबार ,सदर जनपद – गोरखपुर

पत्रांक : शिविर. / मान्यता / 714-26 / 2006 --07 दिनांक : 17/5/06

विषय : पू0 मा0 वि0 स्तर कक्षा 06 से 08 तक की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,से प्राप्त आवेदन पत्र, निरीक्षण आख्या एवं अन्य आवश्यक पत्रजातों पर शासनादेश सं0 –646 / 15–6–97–18 एस (7) / 89 दिनांक 13अगस्त 1997 में उल्लखित प्रावधानों / शर्तों के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , की संस्तुति एवं मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णय / संस्तुति पर निम्नाकित प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को बालक विद्यालय के रुप में (पू0 मा0 वि0) जू0 हा0 स्तर तक कक्षा 6 से 8 तक की स्थायी मान्यता उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

विद्यालय में कुल तीन वर्ग ही मान्य होंगे । अतिरिक्त उपवर्गो को संचालित करने हेतु नियमानुसार अनुमति विभाग से प्राप्त करनी होगी ।

विद्यालय मे प्रधानाध्यापक सहित कुल पांच प्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त शिक्षक / शिक्षिका , एक लिपिक तथा एक अनुचर वर्तमान मानक के अनुसार मान्य होगें । चार शिक्षक / शिक्षिकाओं में एक भाषा एवं एक विज्ञान शिक्षक / शिक्षिका की नियुक्ति करना अनिवार्य है।

विभागीय आदेशों / निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्ध :–

(1) विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा (प्राइमरी) स्तर की कदापि न दी जाये और न ही किसी प्रकार की अवैधानिक कक्षाएं ही संचालित की जायें ।

(2) विद्यालय में केवल प्रशिक्षित एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुमोदित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया हो, मान्य होंगें ।

(3) विद्यालय में विभाग द्वारा निर्घारित पाठयकम ही पढाया जाये ।

(4) विद्यालय में विभागीय नियमों /आदेशों /निर्देशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता आदि में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायें ।

(5) विद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान , मंहगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाये जो परिषद के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे है। इनका भुगतान चेक द्वारा बैक में खाता खोलकर बैंक के माध्यम से उनके खाते में अन्तरण द्वारा किया जाये । उल्लंघन की दशा में तत्काल मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(6) विद्यालय में विज्ञान अध्यापक / अध्यापिका की नियुक्ति यदि नहीं की गई हो तो तत्काल नियुक्ति कर के इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कमशः दो पर ————

(7) कीडा क्षेत्र एवं प्रागंण को चारो ओर से समतल कराया जाये तथा चारों ओर वृक्षारोपण कराया जायें ।

(8) विद्यालय के छात्र /छात्राओं से निर्धारत शुल्क ही लिया जाये। समस्त शुल्कों का बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलकर पासबुकें तथा पंजिकाऐं सदैव विद्यालय में सुरक्षित रखी जायें , जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी देख जा सकें ।

(9) भवन में जिन कक्षों की छत लिन्टर नहीं है। उन्हें यथाशीघ्र पक्की छत में परिवर्तन कराया जाये।

(10) शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में अद्यतन शासनादेश के तहत आरक्षण कोटे का अनुपालन अनिवार्य रुप से किया जाये।

भवदीय

16-5-06.

सुश्री (असगर सैयदा)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सप्तम मण्डल, गोरखपुर

15/05/06

15-5-06

पृ0सं0 /शिविर /मान्यता/ /2006 –2007 तददिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
2– संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रा0) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
3– सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद ,इलाहाबाद ।
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक मण्डल गोरखपुर।
5– उप शिक्षा निदेशक (अर्थ/विज्ञान/प्राइमरी) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
6– रजिस्टार विभागीय परीक्षाएं, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
7– वैयक्तिक सहायक , शिक्षा निदेशक , बेसिक उ0प्र0 , निशातगंज लखनऊ।
8– जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर।
9– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर।
10– जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर।
11– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर।
12– कार्यालय गार्ड फाइल हेतु ।

सुश्री (असगर सैयदा)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सप्तम मण्डल, गोरखपुर